पुनरीक्षण .... / 2016
प्रस्तुति दिनांक 21 / 06 / 2016

रा.रा. माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

निग – 2065 – PBR/16

1. सुरेश पिता श्री श्यामनारायण उर्फ श्यामलाल
2. नंदकिशोर पिता श्री श्यामानारायण उर्फ श्याममाल
3. पुरुषोत्तम पिता श्री श्यामानारायण उर्फ श्याममाल
4. अशोक पिता श्री श्यामनारायण उर्फ श्याममाल

सभी निवासीगण– पलसूद तहसील राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.)

————प्रार्थीगण

1. संतोषीबाई पति श्री जगदीशचन्द्र
2. राजेश पिता श्री जगदीशचन्द्र

दोनो निवासीगण – पलसूद तहसील राजपुर जिला बडवानी

3. महेन्द्र पिता श्री श्यामनारायण उर्फ श्याममाल
   निवासी– पलसूद तहसील राजपूर जिला बडवानी (म.प्र.)
4. रमेश पिता श्री श्यामनारायण उर्फ श्याममाल
   मृतक तर्फे वारिसगण :–
   अ. प्रभाबाई पति श्री रमेशचन्द्र
   ब. मुकेश पिता श्री रमेशचन्द्र
   स. संतोष पिता रमेशचन्द्र
   सभी निवासीगण – ग्राम पलसूद तहसील राजपुर जिला बडवानी (म.प्र)
   द. सुनीताबाई पति गुलाबचन्द्र
   निवासी– दरबार मोहल्ला पलसूद तहसील राजपूर जिला बडवानी (म.प्र.)

———— प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

प्रार्थीगण द्वारा यह पुनरीक्षण श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 300 / अपील / 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर सादर प्रस्तुत करते है कि :–

अविरत——2

R 2065-PBR/16 वडवानी

स्थान तथा दिनांक	सुरेश / संतोष / कार्यवाही अथवा आदेश / बाई	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-8-2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18-5-2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 का बटवारा आवेदन पत्र अन्य नामान्तरणों का हवाला देकर निरस्त किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 के प्रस्ताधीन भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी होने से बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होने से विधिवत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।	
	अध्यक्ष	

शासकीय मुद्रा — 766 — फॉर्म — 23-3-13 — 10,000 प्रपत्र.